

संचालनालय कोष एवं लेखा

मा.प्रदेश

क्रमांक/डीटीए/IFMIS/डेटा माइग्रेशन/2015/ई-51
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9/3/15

विषय:-समेकित वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली आई.एफ.एम.आई.एस परियोजना अंतर्गत डेटा माइग्रेशन
बाबत ।

संदर्भ:-संचालनालय कोष एवं लेखा का पत्र क्र.डी.टी.ए./IFMIS/डेटा माइग्रेशन/2015/ई-21 दिनांक
16.02.2015 (छाया प्रति संलग्न)

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि म0प्र0 शासन वित्त
विभाग के निर्देश में संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा एप्लीकेशन साफ्टवेयर आई.एफ.एम.आई.एस का
विकास किया जा रहा है । सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मूलतः तीन सब-सिस्टम, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
(आई.एफ.एम.आई.एस), मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस. तथा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (पी.एन.
एस.) है । इस व्यवस्था में समस्त विभागों की ऐसी गतिविधियाँ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करती है, को सम्मिलित किया गया है । कर्मचारियों के वेतन, वेतन
निर्धारण, एरियर, अवकाश सेवा निवृत्ति लाभ एवं पेंशन निर्धारण, सामग्री/सेवा क्रय प्रक्रिया, निर्माण कार्यों
की स्वीकृति, मॉनिटरिंग तथा भुगतान प्रक्रिया इत्यादि को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है । आई.एफ.एम.
आई.एस. का सक्षिप्त विवरण इस कार्यालय की वेबसाइट www.mp-treasury.org पर उपलब्ध है ।

इस अनुक्रम में आपके विभाग (अधीनस्थ कार्यालयों सहित) से संबंधित समस्त सुसंगत डेटा को
इस परियोजना में सम्मिलित कर कार्यालयीन कार्य को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जाना है । इस हेतु
आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लीकेशन फार्म सॉफ्टवेयर के माध्यम से, डेटा प्रविष्टि सीधे एप्लीकेशन फार्म पर
की जावेगी । प्रविष्टि से संबंधित डेटा विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय स्तर पर संधारित
होता है, अतः डेटा क्लेक्शन एवं एंट्री का कार्य सतत रूप से सभी स्तरों पर किया जाएगा । कार्य में
सक्रियता एवं समन्वय के लिए आपके कार्यालय में पदस्थ वित्तीय सलाहकार/वित्तीय अधिकारी एवं
आपके विभाग से नामांकित एक विभागीय (प्रशासकीय) अधिकारी को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी
नामांकित करने का अनुरोध किया गया है ।

डेटा माइग्रेशन अंतर्गत डेटा भरने के संबंध में समस्त जानकारी एवं प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु
संचालनालय द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावेगा एवं आपके विभाग से संबंधित माह्युलवार मास्टर
टेम्पलेट की जानकारी एवं आई.एफ.एम.आई.एस. का सक्षिप्त विवरण तथा आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लीकेशन
साफ्टवेयर फार्म व। यूजर मैन्युअल की सॉफ्ट कॉपी प्रदाय की जावेगी, जिसके अनुसार आपको अपने
विभाग की जानकारी की प्रविष्टि की जाना है उक्त प्रविष्टि आपके कर्मचारियों द्वारा ही की जावेगी ।

IFMIS की यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जारी है, तथा 1 जुलाई 2015 से पायलट टेस्टिंग प्रारंभ
किया जाना है । अतः डेटा माइग्रेशन कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है । इस हेतु यथा संभव

विभागाध्यक्ष स्वयं, विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार के साथ संचालनालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में संलग्न चार्ट अनुसार तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें अथवा ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को नामांकित करने का कष्ट करें जो उक्त कार्य के लिए सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे सकें। नोडल अधिकारियों को तत्समय डाटा प्रविष्टि की साप्ताहिक प्रगति से निरंतर इस कार्यालय को अवगत कराने के लिए निर्देश देने का कष्ट करें।
संलग्न: - उपरोक्तानुसार।

Rajshree
7.3.2018

वि.क.अ. सह आयुक्त
कोष एवं लेखा

क्रमांक/डीटीए/IFMIS/डेटा माइग्रेशन/2015/ई- 52
प्रतिलिपि: -

भोपाल, दिनांक 9/3/18

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा, म.प्र. की ओर लेख है कि आप अपने संभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त प्रक्रिया के निर्वहन हेतु एक समिति गठित कर प्रति सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्य की प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें।
3. समस्त वित्तीय सलाहकार/वित्तीय अधिकारी की ओर लेख है कि संलग्न चार्ट अनुसार आप अपने कार्यालय के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक एवं समय पर संचालनालय के सभाकक्ष में उपस्थित हों एवं आप अपने स्तर से उक्त प्रक्रिया के निर्वहन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी /कोषालय अधिकारी, जिला/नगर कोषालय, म.प्र.को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त आहरण सवितरण अधिकारियों को डेटा माइग्रेशन कार्य की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए उचित मार्गदर्शन देवें साथ ही शीघ्र ही डाटा एन्ट्री कार्य पूर्ण करने हेतु अपने स्तर पर उचित कार्यवाही कर इस कार्यालय का अवगत करावें।
5. संचालनालय द्वारा गठित लीगेसी डेटा टीम लीडर/ सदस्य श्री..... की ओर लेख है कि आप दिनांक.....को संचालनालय के सभाकक्ष में.....बजे में उपस्थित हों।

Rajshree
7.3.2018

वि.क.अ. सह आयुक्त
कोष एवं लेखा